

2018/00/60

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

सरला 2/0 पदमचन्द बनाम मीला 2/0 हेमल बोठारी

धारा 188 किस्म 94

प्रसं 56/18

26/6/18

बाद जाँच वाद/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 13.8.18 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

12-8-18

पत्रावली पेश हुई। रज्यातीत्र कार एकोफिप्रान के द्वारा कार्य का न-अगन किया गया है P.O. का हस्त राजतीत्र कार्य के अन्तर्गत प्रतिकाशी क० 2 के कम्पन काड तामिल प्राप्त है। प्रिन्ट तामिल पत्रावली किया जाये। प्रतिकाशी क० 2 उपस्थित नहीं। रज्या प्रतिकाशी क० 1, 2, 4 व 5 के कम्पन काड तामिल। कडन तामिल प्राप्त नहीं है। वास्तव प्रतिकाशी क० 2 के कडिब कार्य नहीं तथा प्रतिकाशी क० 1, 2, 4 व 5 के कम्पन कडन-गार के पत्रावली दिनांक 12-8-18 को पेश हो। B.O.

दिनांक 12-8-18 को राजतीत्र इवकारा घोषित होने के तब दिनांक 18-8-18 व 19-8-18 को राजतीत्र इवकारा होने के पत्रावली काज पेश हुई। कत्रीम वाडिया उपस्थित। प्रिन्ट वाडिया के उपस्थित होकर वाड पत्र को नॉनप्रिन्ट किया जाने के वाडिया का काड प्र गोट के (आगत कोश) केवारीज किया जाता है पत्रावली प्रकाम प्रभारन की जाकर दफ्तर कारिका है।

उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा (स)